भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1202
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

"गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम"

1202: डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद:
डॉ. सुकांत मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश में बाल लिंग अनुपात से संबंधित डेटा क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कडे कदम उठाए हैं/ उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामले दर्ज किए गए है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उक्त प्रावधानों/नियमों के उल्लंघन के मामले में बुक किए गए ऐसे अपराधियों की सजा दर का विवरण क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क): देश में बाल लिंग अनुपात (भारत के महापंजीयक से यथा प्राप्त) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डेटा **अनुलग्नक -1** में हैं।

(ख): गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए है:

- निरीक्षणों के माध्यम से नियमित निगरानी
- कार्यान्वयन अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण की समीक्षा
- बालिकाओं के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जागरूकता पैदा करना और समृद्ध उपाय करना

- इंटरनेट पर लिंग चयन से संबंधित ई-विज्ञापनों को विनियमित करने और हटाने के लिए वर्ष 2016 में एक नोडल एजेंसी की स्थापना करना
- कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण में तेजी लाना।

(ग) और (घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथा प्राप्त पीसीपीएनडीटी अधिनियम और संबंधित नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए वर्तमान वर्ष सहित पिछले 3 वर्षों में दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या **अनुलग्नक -2** में दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त पीसीपीएनडीटी अधिनियम और संबंधित नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए ऐसे अपराधियों की दोषसिद्धि दर का वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा **अनुलग्नक-3** में है।

*****

अनुलग्नक -1

0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार बाल लिंग अनुपात			
कोड	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	0-6 आयु वर्ग की आबादी में बाल लिंग अनुपात	
		कुल	
		2001	2011
	भारत	**927**	**918**
1	जम्मू और कश्मीर	**941**	**862**
2	हिमाचल प्रदेश	**896**	**909**
3	पंजाब	**798**	**846**
4	चंडीगढ़	**845**	**880**
5	उत्तराखंड	**908**	**890**
6	हरियाणा	**819**	**834**
7	एनसीटी दिल्ली	**868**	**871**
8	राजस्थान	**909**	**888**
9	उत्तर प्रदेश	**916**	**902**
10	बिहार	**942**	**935**
11	सिक्किम	**963**	**957**
12	अरुणाचल प्रदेश	**964**	**972**
13	नागालैंड	**964**	**943**
14	मणिपुर	**957**	**930**
15	मिजोरम	**964**	**970**
16	त्रिपुरा	**966**	**957**
17	मेघालय	**973**	**970**
18	असम	**965**	**962**
19	पश्चिम बंगाल	**960**	**956**
20	झारखंड	**965**	**948**
21	ओडिशा	**953**	**941**
22	छत्तीसगढ़	**975**	**969**
23	मध्य प्रदेश	**932**	**918**
24	गुजरात	**883**	**890**
25	दमन और दीव	**926**	**904**
26	दादरा और नागर हवेली	**979**	**926**
27	महाराष्ट्र	**913**	**894**
28	आंध्र प्रदेश	**961**	**939**
29	कर्नाटक	**946**	**948**
30	गोवा	**938**	**942**
31	लक्षद्वीप	**959**	**911**
32	केरल	**960**	**964**
33	तमिलनाडु	**942**	**943**
34	पुदुचेरी	**967**	**967**
35	अडंमान निकोबार द्वीप समूह	**957**	**968**

स्रोत: भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

अनुलग्नक-2

पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दर्ज मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या		
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**पिछले 3 वर्षों में दर्ज मामलों की कुल संख्या (वर्तमान वर्ष सहित)**
1	अंडमान और निकोबार	-
2	आंध्र प्रदेश	4
3	अरुणाचल प्रदेश	-
4	असम	2
5	बिहार	70
6	चंडीगढ़	-
7	छत्तीसगढ़	-
8	डीडी और डीएनएच	-
9	दिल्ली	38
10	गोवा	-
11	गुजरात	4
12	हरियाणा	95
13	हिमाचल प्रदेश	-
14	जम्मू और कश्मीर	7
15	झारखंड	8
16	कर्नाटक	15
17	केरल	3
18	लद्दाख	-
19	लक्षद्वीप	-
20	मध्य प्रदेश	18
21	महाराष्ट्र	15
22	मणिपुर	-
23	मेघालय	-
24	मिजोरम	-
25	नागालैंड	-
26	ओडिशा	3
27	पुदुचेरी	-
28	पंजाब	23
29	राजस्थान	158
30	सिक्किम	-
31	तमिलनाडु	7
32	तेलंगाना	8
33	त्रिपुरा	1
34	उत्तर प्रदेश	96
35	उत्तराखंड	39
36	पश्चिम बंगाल	1

स्रोत: राज्यों की रिपोर्ट

अनुलग्नक -3

पिछले तीन वर्षों में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के तहत कुल दोषसिद्धि मामले (वर्तमान वर्ष सहित)

क्र. सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों में कुल दोषसिद्धि (वर्तमान वर्ष सहित)
1	आंध्र प्रदेश	-
2	अंडमान और निकोबार	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-
4	असम	-
5	बिहार	-
6	चंडीगढ़	-
7	छत्तीसगढ़	-
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	-
9	दिल्ली*	2
10	गोवा	-
11	गुजरात	9
12	हरियाणा	12
13	हिमाचल प्रदेश	-
14	जम्मू और कश्मीर	-
15	झारखंड	4
16	कर्नाटक	-
17	केरल	-
18	लद्दाख	-
19	लक्षद्वीप	-
20	मध्य प्रदेश	1
21	महाराष्ट्र*	5
22	मणिपुर	-
23	मेघालय	-
24	मिजोरम	-
25	नागालैंड	-
26	ओडिशा	9
27	पुदुचेरी	-
28	पंजाब*	4
29	राजस्थान	3
30	सिक्किम	-
31	तमिलनाडु	5
32	तेलंगाना	-
33	त्रिपुरा	-
34	उत्तर प्रदेश	27
35	उत्तराखंड	-
36	पश्चिम बंगाल	1

***राज्यों से प्राप्त पिछले 5 वर्षों के आंकड़े**

स्रोत: राज्यों की रिपोर्ट

*****